अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पैतालीसवीं (45वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2011 को दोपहर 12.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 582 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 376 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 1,95,348.16 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 6,44,073 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, एसईजेड से 2,20,711.39 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2008-09 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 121.40 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में निर्यात 2,23,132.31 करोड़ रुपए के आसपास है जो 2009-10 की समान अवधि में निर्यात की तुलना में 46.70 प्रतिशत अधिक है।

3. शुरू में अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 5 राज्यों अर्थात असम, केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता के दायरे में आ गए हैं, के संबंध में प्रस्तावों को लेने की आवश्यकता नहीं है तथा तद्नुसार इन सभी प्रस्तावों को आस्थगित समझा जाए।

मद संख्या 45.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेक्टर टेकजोन--IV, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्थ इनफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2010 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेक्टर टेकजोन--IV, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्थ इनफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 14.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गीगाप्लेक्स, प्लाट नंबर 5, एमआईडीसी, नालेज पार्क, एयरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बी रहेजा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

(iii) ग्राम दाहेज, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में 144.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग पोर्ट लिमिटेड का प्रस्ताव

(i) बालानगर मंडल, कुकटपल्ली नगरपालिका, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स साइबरसिटी बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त तीन प्रस्तावों में अभी तक संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त होने तक इन प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.2 : ग्राम रजोडा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 217.14.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए मौजूदा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में से 10.32.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड विकसित करने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए इस प्रस्ताव को नहीं लिया गया क्योंकि विकासक द्वारा इसे वापस ले लिया गया।

मद संख्या 45.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि हालांकि 26 मार्च 2009 को पट्टा करार निष्पादित किया गया है, सह विकासक करार काफी समय बाद 29 नवंबर 2010 को निष्पादित किया गया जिससे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि पट्टा करार निष्पादित करने का उद्देश्य मैसर्स माइटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूनिट स्थापित करना है या नहीं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को यह सुनिश्चित करने के लिए पट्टा करार की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया कि इस पट्टा के माध्यम से

पट्टाधारी (प्रस्तावित सह विकासक) को पट्टाकर्ता (अर्थात विकासक) द्वारा मूलत: किन गतिविधियों के लिए अधिकृत किया गया है। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, मुंद्रा (आईटीआई मुंद्रा) का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह प्रस्ताव गुजरात राज्य सरकार द्वारा आईटीआई की स्थापना के लिए है जो सह विकासक के रूप में आएगी। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके संचालन को सह विकासक द्वारा निर्मित की जाने वाली अवसंरचना के रूप में नहीं लिया जा सकता है और अतीत में अनुमोदन बोर्ड ने ऐसी प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थान स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सह विकासक सरकारी संस्था है और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 8100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुंद्रा के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इस अनुमोदन को भविष्य में आने वाले समान मामलों के लिए दृष्टांत के रूप में न लिया जाए।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स थाउजेंड आईलैंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि मुंद्रा टाउनशिप में होटल तथा मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव है और इसलिए इस क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में होटल स्थापित करने के लिए दो सह विकासकों को मंजूरी प्रदान कर चुका है। पहले से अनुमोदित होटलों, उनके लोकेशन और उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए दोनों वर्तमान प्रस्तावों की जांच करने की आवश्यकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त दो प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को प्रस्तावों की फिर से जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। रिपोर्ट में सह विकासक के रूप में एसईजेड में होटलों की स्थापना के लिए मौजूदा अनुमोदनों, इनकी स्थापना के लिए सह विकासकों द्वारा उठाए गए कदमों, इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, एसईजेड में इनके अस्तित्व में आ जाने की स्थिति में होटलों की अक्यूपेंसी रेट तथा पिछले अनुमोदनों की तुलना में ऐसी सुविधाओं की भावी आवश्यकता तथा एसईजेड में उनकी आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। तद्नुसार, उपर्युक्त प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने केरल राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

(vii) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स हैदराबाद इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फिनिक्स इ्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि सह विकासक करार से ऐसा प्रतीत होता है कि विकासक इस संपत्ति पर अपने सभी अधिकारों को प्रतिसंहार्य रूप से सौंप रहा है। इसके अलावा सह विकासक ने पट्टा करार की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि पट्टा करार की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित हो कि यह लेनदेन भूमि की बिक्री नहीं है, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसार निषिद्ध है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को पट्टा करार की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(viii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि विश्वविद्यालय का दर्जा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय के सरकारी / निजी होने के संबंध में विकास आयुक्त, केएएसईजेड से स्पष्टीकरण प्रदान करने

की मांग की तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को विश्वविद्यालय के स्टेटस की पुष्टि करने तथा अनुमोदन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तद्नुसार विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ix) आदित्य नगर, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एयरो स्पेस तथा प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन यह इंगित करता है कि एयरक्राफ्ट के पुर्जो के निर्माण में उनको महारत हासिल है और विद्युत, पानी, सीवेज आदि जैसी अवसंरचना के विकास में उनको कोई महारत हासिल नहीं है। अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सह विकासक की गतिविधियों की प्रकृति का स्पष्ट रूप से सुनिश्चय किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तव में विनिर्माण यूनिट नहीं है जो सह विकासक करार प्राप्त करने के लिए एसईजेड में स्थापित की जा रही है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने स्पष्ट किया कि विकासक मैसर्स एपीआईआईसी ने एसईजेड के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 प्रतिशत में अवसंरचना के विकास के लिए मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ सह विकासक करार किया है और इस आधार पर उन्होंने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड में 40.676 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत, पानी, सीवेज, ग्रीनरी जैसी अवसंरचना तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 45.4 : मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक का दर्जा वापस लेने के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के दर्जे को वापस लेने के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान की कि सह विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 45.5 : सह विकासक के रूप में विकसित किए जाने वाले क्षेत्र के अंदर एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए सिपकाट औद्योगिक क्षेत्र, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकाम हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टीएपीपी सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.6 : मैसर्स दाहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जिला भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

वाणिज्य विभाग द्वारा एसईजेड में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए दिशानिर्देश 27 फरवरी 2009 को जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के पैरा (i) अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के अंग के रूप में एसईजेड में विकासक / सह विकासक द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। 22 सितंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा उस समय तैयार किए जा रहे विद्युत दिशानिर्देशों के अधीन मंजूरी प्रदान की गई थी।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मुद्दे की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है और तदनुसार मैसर्स टीईएल के प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया। वाणिज्य विभाग फाइल पर संपूर्ण मुद्दे की जांच करेगा और उसके बाद विचार के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

मद संख्या 45.7 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.8 : इक्विटी के अंतरण / परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए विकासक मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूसंश्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति को दोहराते हुए कहा कि ये लेनदेन भूमि की बिक्री के समान हैं, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत अनुमत नहीं है। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 45.9: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत प्रचालनों के लिए सभी अनुमोदन 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन हैं जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा		अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
		यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ओपन स्टोरेज यार्ड			

	(क) कंटेनर यार्ड	1	65000	65000
	(ख) ओवर डाइमेंशनल कार्गो यार्ड	1	14000	14000
	(ग) खाली कंटेनर यार्ड	1	2000	2000
	(घ) शेड के साथ अनुरक्षण एवं मरम्मत यार्ड	1	5000	5000
	(ड.) स्क्रैप यार्ड	1	5500	5500
2.	डिस्टफिंग और जांच यार्ड	1	3000	3000
3.	परिवहन प्रणाली			
	(क) बस शेल्टर्स	6	10	60
	(ख) हेलीपैड	1	6500	6500
	(ग) यातायात नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां			
	(घ) आवक /जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	एनए	एनए
	(ड.) वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	एनए	एनए
4.	जन सुविधाएं			
	(क) फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं एवं किचन	1	3000	3000
	(ख) ट्वायलेट	4	60	240
	(ग) विश्राम कक्ष	1	250	250
	(घ) बुनियादी सुविधा स्टोर (ग्रोसरी, स्टेशनरी आदि)	1	150	150
5.	वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर			
	(क) गुड्स /कंटेनर ट्रैकिंग /ट्रेसिंग सिस्टम	1	एनए	एनए
	(ख) वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेय	1	एनए	एनए
6.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1	5000	5000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा**		**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
		यूनिटों की	**यथालागू एफएसआई /एफएआर मानदंड**	

		संख्या	के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जन सुविधाएं			
	1. ट्वायलेट	1	60	60
	2. बस टर्मिनल	1	500	500
	3. वर्क शॉप	1	500	500
2.	प्रशासनिक भवन (शामिल करने के लिए)	1	5000	5000
	1. एफटीडब्ल्यूजेड मैनेजमेंट सेंटर			
	2. कूरियर कार्यालय			
	3. बैंक /एटीएम			
	4. इंटरनेट कैफे			
	5. टेलीफोन बूथ			
	6. डाक /तार घर			
	7. व्यवसाय केन्द्र			
	8. क्लियरिंग एजेंट, बीमा कंपनियों, शिपिंग कंपनियों आदि के लिए कार्यालय			
	9. स्टेशनरी एवं जीरोक्स की सुविधा			
	10. पेंट्री कैंटीन और डायनिंग एरिया			
	11. डाटा केंद्र			
	12. पॉली क्लीनिक एवं फार्मेसी			
	13. अतिथि कक्ष			
3.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1	1000	1000
4.	आवश्यक अनुरक्षण स्टाफ आवास और सामूहिक शयन कक्ष			
	1. स्टाफ आवास	4 यूनिटें	600 (प्रत्येक यूनिट में 12 घर होंगे जिनका औसत क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा)	2400
	2. सामूहिक शयन कक्ष	1	1500 150 बेड जिसमें से	1500

			प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर होगा	

(ii) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

(iii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : -

प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	एसईजेड भाग 1 और एसईजेड भाग 2 के बीच समर्पित कोरिडोर में दो फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण	4.66 किमी

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	14 हेक्टेयर की भूमि पर पोर्ट	14 हेक्टेयर में पोर्ट

(iv) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओएनजीसी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड में एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि हेलीपैड का निर्माण मूल रूप से आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास के लिए है क्योंकि एसईजेड में अत्यधिक ज्वलनशील गैसों का भंडारण होता है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों	यथालागू एफएसआई /	कुल क्षेत्रफल

		की संख्या	एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(वर्गमीटर में)
1.	हेलीपैड	1	एनए	900 (30x30 मीटर)

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इस अनुमोदन को दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जाएगा।

(v) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रस्ताव में नगर निगम को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। इसके अलावा, विद्युत परियोजना प्रसंस्करण क्षेत्र में केवल यूनिट के रूप में स्थापित की जानी चाहिए, 1.12 लाख वर्गमीटर का कार्यालय स्थान बहुत बड़ा है और एसईजेड में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी प्रस्ताव हैं। राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निदेश दिया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड मानदंडों एवं विनियमों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की जांच करें और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अपनी सकारण सिफारिशें प्रस्तुत करें।

(vi) ग्राम मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड जो मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि सह विकासक को 11 फरवरी 2010 को आयोजित बैठक में प्रथम चरण के लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है और यह कि वर्तमान अनुरोध निम्नलिखित के लिए है :

(i) परियोजना के दूसरे चरण के लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन;
(ii) अधिकृत प्रचालनों के चरण 1 और 2 के लिए अपेक्षित माल की मात्रा; और
(iii) कुछ अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित भूमि की मात्रा में कटौती ताकि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो सके।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा गतिविधियों को तर्कसंगत बनाए जाने के बाद चरण 2 के लिए अधिकृत प्रचालनों, चरण 1 और 2 के लिए अपेक्षित माल की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान की तथा चरण 1 के लिए कुछ अधिकृत प्रचालनों की मात्रा में कटौती के लिए भी अनुमति प्रदान की। राजस्व विभाग का यह मत था कि एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र के बाद किसी

प्रचालन के लिए प्रयुक्त सामग्री के लिए कोई कर छूट उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि सह विकासक को उपलब्ध छूटें एसईजेड के अंदर अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए स्थापित अवसंरचना तक सीमित होगी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	चरण I के लिए अनुमोदित मात्रा (एकड़ में)	चरण II के लिए अनुमोदित मात्रा (एकड़ में)	चरण I और II के लिए कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	चरण I और II के लिए कुल अनुमोदित मात्रा
1	निम्नलिखित यांत्रिक प्रणालियों की स्थापना :				
(i)	5 x 270 मेगावाट का कोयला आधारित बॉयलर, टर्बाइन, जेनरेटर (बीटीजी) सेट तथा इनकी सहयोगी यूनिटें जिसमें बॉयलर फीड सिस्टम, कंडेंसर, कंडसेंट एक्सट्रैक्शन पंप, एचपी / एलपी हीटर्स, कोल मील्स एंड आरसी फीडर्स, कोल बंकर, आईडी / एफडी / पीए फैन, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स तथा आटो कंट्रोल सिस्टम आदि शामिल हैं।	52	52	104	10 सेट
(ii)	कोल हैंडलिंग सिस्टम जिसमें वैगन टिपलर, साइड आर्म चार्जर, विब्रो फीडर, क्रशर्स, स्टैकर सह रिक्लेमर, कनवेयर सिस्टम, डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे मार्शलिंग यार्ड आदि शामिल हैं।	70	70	140	2 सेट
(iii)	ऐश हैंडलिंग सिस्टम जिसमें ऐश स्लरी पंप, कलेक्टर टैंक, हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी) सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, ऐश स्लरी पाइप लाइंस, सूखी उड़न राख के निस्तारण के लिए ऐश सिलोज तथा मिल रिजेक्ट सिस्टम शामिल हैं।	9	9	18	2 सेट
(iv)	जल शोधन संयंत्र जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : शोधन पूर्व संयंत्र (क्लैरीफिकेशन	3.5	चरण 1 में उपलब्ध	3.5	2 सेट

	सिस्टम, केमिकल हाउस, क्लैरीफ्लोकुलेटर, क्लैरीफाइड वाटर स्टोरेज टैंक, पीटी पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि) डीएम प्लांट (सक्रिय कार्बन फिल्अर, काशन / एनियन / मिक्स्ड बेड एक्सचेंजर, डीगैसीफायर टावर, डीएम वाटर स्टोरेज टैंक, डीएम पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि)		क्षेत्रफल		2 सेट
(v)	सीडब्लयू / एसीडब्ल्यू पंप, सीडब्ल्यू पाइपिंग, बटरफ्लाई वाल्व और आरई ज्वाइंट, सीडब्ल्यू ट्रीटमेंट और क्लोरिनेशन सिस्टम, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)	5	5	10	2 सेट
(vi)	रा वाटर पंपिंग सिस्टम जिसमें पंप, एसटीपी से पाइपिंग लाइन, पंप हाउस, 33 केवी के लाइन तथा सब स्टेशन आदि शामिल हैं	2 एकड़ + 10 मीटर x 18 किमी	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	2 एकड़ + प्लांट एरिया के बाद पाइप लाइन कोरिडोर के लिए प्राप्त किए जाने वाले 10 मीटर x 18 किलोमीटर के लिए मार्गाधिकार	1 सेट
(vii)	ईंधन तेल प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सिस्टम (पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक सहित)	2.25	तदैव	2.25	1 सेट
(viii)	डक्टिंग आदि सहित एयर कंडिशनिंग सिस्टम तथावेंटीलेशन सिस्टम	0.5	0.5	1.0	2 सेट
(ix)	कंप्रेशर, पाइप, एयर वेजल तथा ड्रायर आदि सहित कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	0.75	0.75	1.5	2 सेट
(xi)	हाइड्रोजन जेनरेशन प्लांट	0.25	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	0.25	1 सेट
XIII.	वर्कशाप के उपकरण	0.75	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	0.75	1 सेट
2	विद्युत कार्य :				

(i)	पावर ट्रांसफार्मर जीटी, एसटी, यूएटी एवं आईसीटी (जेनरेटर ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, यूनिट ऑक्स ट्रांसफार्मर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर आदि)	संबंधित सिस्टम में शामिल सिस्टम	संबंधित सिस्टम में शामिल सिस्टम	-	पावर ट्रांसफार्मर : (क) जीटी : 10 सेट (ख) एसटी : 6 सेट (ग) यूएटी : 20 सेट (घ) आईसीटी : 2 सेट
(ii)	शेष संयंत्र के लिए विद्युत उपकरण (ईबीओपी) जिसमें 400 केवी का स्विचयार्ड, स्विच गियर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्शन सिस्टम, अर्थिंग, टावर, बसबार गैंट्री, कंडक्टर, इनसुलेटर, केबल, स्काडा सिस्टम, स्टेशन लाइटिंग, प्लांट डीजी सेट आदि शामिल हैं	40	चरण 1 में उपलब्ध क्षेत्रफल	40	2 सेट
(iii)	400 केवी की पारेषण लाइन जिसमें एसईजेड क्षेत्र में विद्युत के पारेषण / वितरण के लिए संबद्ध स्विचगियर के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी / स्टार्टअप पावर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर के लिए सीटीयू / एसटीयू छोर पर सब स्टेशन बे शामिल हैं	- 52 मीटर x 100 किमी (मार्गाधिकार प्राप्त करने के बाद पारेषण लाइनों को कार्यान्वित किया जाएगा)	- 52 मीटर x 100 किमी (मार्गाधिकार प्राप्त करने के बाद पारेषण लाइनों को कार्यान्वित किया जाएगा)	- मार्गाधिकार जो पारेषण कोरिडोर के लिए संयंत्र क्षेत्र के बाद प्राप्त किया जाएगा	2 सेट

3	सिविल कार्य :				
(i)	साइट लेवलिंग तथा ग्रेडिंग का कार्य	350 एकड़	150	500	2 लाट
(ii)	बीटीजी सिविल तथा संरचनात्मक कार्य	संबंधित सिस्टम में शामिल सिस्टम :	-	-	2 लाट
(iii)	बीओपी, विविध एवं गैर संयंत्र बिल्डिंग, लोको शेड आदि के लिए सामान्य सिविल कार्य	संबंधित सिस्टम में शामिल सिस्टम :	-	-	2 लाट
(iv)	चिमनी (स्टैक एलिवेटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एविएशन लाइटिंग, अर्थिंग आदि सहित)	संबंधित सिस्टम में शामिल सिस्टम :	-	-	4 सेट
(v)	कूलिंग टावर	65	65	130	10 सेट
(vi)	गेट / स्क्रीन आदि सहित प्लांट वाटर रिजर्वायर	39.5	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	39.5	लाट 1
(vii)	ऐश डाइक तथा ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम	196	तदैव	196	लाट 1
(viii)	रेलवे साइडिंग, तटबंध, पुलों, आरयूबी का निर्माण तथा संबद्ध सिविल कार्य, पी वे वर्क (रेल एवं स्लीपर बिछाना), सिगनलिंग एवं दूरसंचार, लोकोमोटिव का प्रापण	50 मीटर x 25 किमी (रेलवे नेटवर्क के साथ संपर्क के लिए भूमि पट्टी प्लांट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जानी है)	30 मीटर x 25 किलोमीटर (रेलवे नेटवर्क के साथ संपर्क के लिए भूमि पट्टी प्लांट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जानी है)	80 मीटर x 25 किमी	2 लाट
4	साइट इनेबलिंग वर्क :				
(i)	पोर्टा केबिन, फर्नीचर और एयर कंडिशनिंग सहित साइट कार्यालय	5.5	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	5.5	लाट 1
(ii)	स्टोर तथा स्टील यार्ड	22.5	तदैव	22.5	लाट 1
(iii)	फील्ड गुणवत्ता आश्वासन लैब, पर्यावरण एवं केमिकल लैब जो उपकरणों से पूर्ण हों	0.2	तदैव	0.2	3 सेट

(iv)	केबिन सहित रोड तुला सेतु	0.12	0.12	0.24	2
(v)	साइट के लिए डीजी सेट	0.25	0.25	0.5	10
(vi)	लाइटिंग मास्ट (मोबाइल टाइप)	एनए	एनए	एनए	10
(vii)	साइट कार्यालय के लिए विद्युत की व्यवस्था (11 केवी)	0.25	तदैव	0.25	लाट 1
(viii)	साइट पर 220 केवी की मौजूदा लाइन का डाइवर्जन	7.5 (प्लांट एरिया के बाद मार्गाधिकार)	-	- (प्लांट एरिया के बाद मार्गाधिकार)	1 लाट
(ix)	निर्माण पावर सिस्टम, 33/11 केवी के सबस्टेशन तथा एलटी वितरण सिस्टम स्थापित करना	संबंधित सिस्टम में शामिल	संबंधित सिस्टम में शामिल	-	1 सेट

मद संख्या 45.10: क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या वर्तमान एसईजेड मौजूदा एयरपोर्ट का हिस्सा है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुष्टि की कि एसईजेड एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि बहु उत्पाद एसईजेड में भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर होना चाहिए। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 45.11: क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम गचिबाउली, राजेंद्र नगर तालुक, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स सीएमसी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने क्रमश: एसईजेड में 0.78 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 2.62 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स सीएमसी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.74 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने

के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 45.12: विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) चिंचोली काटी, तालुक मोहल, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने चिंचोली काटी, तालुक मोहल, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 45.13: औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **11** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया **:**

(i) ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 मार्च, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल्स आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) प्लाट नंबर **202,** सेक्टर केपी-**5,** ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) प्लाट नंबर **03,** सेक्टर **140** ए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) प्लाट नंबर टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 मार्च, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम जटाडे और सावले, जिला पनवेल, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स फामा एस्टेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स परपेचुअल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) प्लाट नंबर **1,** सेक्टर **144,** नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक हसइटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 मई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(x) हिंदूपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रस्साई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

(xi) एनएच 1 पर ग्राम भगान, तहसील गनौर (सोनीपत) और ग्राम कुरार इब्राहिमपुर, तहसील सोनीपत, हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

तथापि अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित राज्यों में होने वाले चुनावों के कारण निम्नलिखित **07 (सात)** अनुरोधों पर विचार करने के कार्य को आस्थगित कर दिया।

(i) दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एचएफटीडब्ल्यूपीएल) का अनुरोध

(iii) ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(iv) वाडापालनजी गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(v) विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(vi) नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(vii) इलांदैकुलम गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

मद संख्या 45.14 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **09** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) रजोदा गांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एन जी रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में कृषि आधारित रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

(v) कांडला एवं टूना, गांधीधाम, जिला भुज, गुजरात में पत्तन आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

(vi) देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 नवंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉनकोर्ड इनवेस्टमेंट का अनुरोध

(vii) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

(viii) हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड का अनुरोध

(ix) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **25** अक्टूबर, **2011** के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(**एपीआईआईसी**)** का अनुरोध

तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने संबंधित राज्यों में होने वाले चुनावों के कारण निम्नलिखित **03 (**तीन**)** अनुरोधों पर विचार करने के कार्य को आस्थगित कर दिया।

(i) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) विलानकुरिची, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि

15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

(iii) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **17** अप्रैल, **2011** के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

मद संख्या 45.15 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **03** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया **:**

(i) इछापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

(ii) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 जुलाई, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(iii) प्लॉट नंबर टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 45.16: सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए चार प्रस्ताव थे जिसमें से निम्नलिखित तीन प्रस्तावों को संबंधित राज्यों में चुनाव होने के कारण आस्थगित कर दिया गया है :

(i) खैतार गांव, तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स तिरूनेलवेली इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम वनजोरे, तिरुपट्टिनम कम्यून, कराइकल जिला, पांडिचेरी में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की

वैधता अवधि 26 फरवरी 2012 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कराइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स गुजरात विट्टल इनोवेशन सिटी लिमिटेड (जीवीआईसीएल) के संबंध में विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं तथा भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाई गई है। अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक तक इस मद को आस्थगित कर दिया और विकास आयुक्त, केएएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

मद संख्या 45.17 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने तथा भवन सामग्रियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स अरिहंत इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान प्रस्ताव उदयपुर जिला, राजस्थान से लोकेशन को परिवर्तित करके चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान करने के लिए है। हालांकि विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, यह पिछले लोकेशन के संबंध में है जिसके लिए उनको मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक लोकेशन में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे और नए एसईजेड के लिए मंजूरी पत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंजूरी पत्र की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रस्ताव का निस्तारण किया।

मद संख्या 45.18 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों के संबंध में पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई :

(i) जिला झज्झर, हरियाणा में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (14 फरवरी, 2012 तक)

(ii) कांडला, गुजरात में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (10 जनवरी, 2012 तक)

(iii) रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रेवास पोर्ट लिमिटेड (25 जून, 2011 तक)

मद संख्या 45.19 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 31 मार्च, 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। हालांकि इस समय 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विकासक का कब्जा है परंतु भूमि संस्पर्शी नहीं है। दिसंबर 2009 में जब विकासक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए संपर्क किया था तब अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से विकासक को नया अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया, जो उपलब्ध नहीं कराई गई है। तथापि, हाल ही में एसईजेड नियमावली में संशोधन किए गए हैं ताकि अनुमोदन बोर्ड प्रतिबंधों के बगैर आरंभिक वैधता अवधि के बाद सैद्धांतिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ा सके। विकासक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च 2012 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.20 : एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनीटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने पर विचार करना

अनुमोदन बोर्ड ने केरल राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.21 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बंस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बंस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) चाला, परडी तालुक, वलसाड जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मेक्सस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 11.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चाला, परडी तालुक, वलसाड जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स मेक्सस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 45.22: अपने मौजूदा मंजूरी पत्र में सिगरेट को शामिल करने / ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स ला स्पिरिट लिकर ट्रेडिंग कंपनी, केएएसईजेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि केएएसईजेड द्वारा विभिन्न प्रकार के लीकर के व्यापार के लिए इस यूनिट को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान प्रस्ताव व्यापार की उनकी गतिविधि में सिगरेट को शामिल करने के लिए है। राजस्व विभाग सिगरेट के निर्माण / व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि यह यूनिट सिगरेट का निर्माण नहीं करेगी परंतु उसका आयात करने के बाद केवल उसका व्यापार करेगी। इसके अलावा यूनिट ड्यूटी फ्री शॉप तथा कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों पर आने वाले विदेशी वेजल को सिगरेट की आपूर्ति करेगी तथा डीटीए में उसकी बिक्री नहीं करेगी और वे डीटीए से सिगरेट का प्रापण भी नहीं करेंगे। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सिगरेट (आईटीसी-एचएस 2402 के तहत शामिल) के व्यापार के लिए यूनिट के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट द्वारा सिगरेट का कोई डीटीए प्रापण नहीं किया जाएगा।
(ii) सिगरेट की कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी।
(iii) सिगरेट की आपूर्ति केवल कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाले विदेशी वेजल, बांडेड वेयरहाउस तथा इन बंदरगाहों में ड्यूटी फ्री शॉप को की जाएगी।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय तैयार करने होंगे कि कोई लीकेज न हो तथा उनको यूनिट द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन का भी सुनिश्चय करना होगा।

मद संख्या 45.23 : दूरसंचार / सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के विनिर्माण के लिए एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हुवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.24 : निषिद्ध मदों के आयात के लिए एसईजेड की यूनिटों का अनुरोध

(i) प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए मैसर्स बायोमैक्स फ्यूल्स लिमिटेड जो वीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने कहा कि शुरू में यूनिट बायो डीजल के निर्माण के लिए क्रूड पाम ऑयल पर निर्भर थी। तथापि, क्रूड पाम ऑयल की कीमतें काफी बढ़ जाने के कारण इसके माध्यम से बायो डीजल का निर्माण लाभप्रद नहीं रह गया है। तद्नुसार, यूनिट ने बायो डीजल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कुकिंग ऑयल का आयात करने का निर्णय लिया। प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के लिए आवाह क्षेत्र मध्य पूर्व होगा जहां एकल प्रयोग के बाद कुकिंग ऑयल फेंक दिया जाता है और ऐसे ऑयल का संग्रहण काफी आसान है। भारत जैसे देशों में कुकिंग ऑयल का प्रयोग कई बार किया जाता है और आसानी से संग्रहण के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यह यूनिट प्लांट एवं मशीनरी में 170 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है तथा प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के प्रतिनिधि की बात भी सुनी गई।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन बायोडीजल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(i) आयातित कुकिंग ऑयल का प्रयोग केवल बायो डीजल के निर्माण और उसके निर्यात के लिए किया जाएगा।
(ii) कोई डीटीए लेनदेन अनुमत नहीं होगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड यूनिट द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन का सुनिश्चय करेंगे।

(ii) चर्बी / चर्बी तेल के आयात के लिए अत्च्युतापुरम मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी एसईजेड की यूनिट मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने नोट किया कि बायोडीजल के निर्माण के लिए चर्बी तथा चर्बी तेल के आयात को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बायो डीजल के निर्माण के लिए चर्बी (एचएस कोड 15020010) और चर्बी तेल (एचएस कोड 15030000) के आयात के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.25 : रॉ साल्ट, इंडस्ट्रियल साल्ट, रिफाइंड फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट, शुगर ग्रेन, दालों, मसालों, अनाज, आंटा तथा शहद के व्यापार के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स केशवानी एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने मूल रूप से चीनी, दालों, मसालों, आटा के संबंध में अनुमोदन के लिए अनुरोध किया था। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनिट अनुमोदन समिति चीनी एवं मसालों के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, इसलिए दालों एवं आटा के संबंध में अनुमोदन की आवश्यकता है। अनुमोदन बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी, दाल, मसाला, अनाज आदि जैसी उपभोज्य वस्तुओं से संबंधित प्रस्तावों की ध्यान से जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि उनकी घरेलू उपलब्धता प्रभावित न हो। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलखित शर्तों के अधीन दालों (एचएस कोड संख्या 07131000, 07132000, 07133910, 07133990) और आटा (एचएस कोड संख्या 11021000, 11022000, 11029000) के व्यापार के लिए यूनिट के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की।

(i) उपर्युक्त मदों का आयात भारत के बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में इन मदों के निर्यात पर रोक जारी रहने तक डीटीए से कोई खरीद नहीं की जाएगी।

(ii) विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यूनिट द्वारा डीटीए से कच्चे माल के प्रापण की कड़ाई से निगरानी की जा सके।

मद संख्या 45.26 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 29 मई 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 मई, 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 45.27 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 5 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 5 मार्च, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 13 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सर्किट सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा इलेक्ट्रानिक के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 13 मार्च, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 45.28 : सन्निकटता में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट पर विचार किया जो 18 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए निर्देश के अनुसार प्रस्तुत की गई। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्तावित गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में राजस्व के चार रास्ते हैं तथा एक रास्ता एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में है, इस प्रकार सन्निकटता की गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि अधिसूचना के समय विकासक ने इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया था कि एसईजेड से राजस्व रास्तों के गुजरने की स्थिति में वे प्रयोक्ताओं के लिए एसईजेड क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक रास्ता देंगे। तथापि, विकासक अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। इसलिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि वे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को मामले की जांच करने तथा परिणामी कार्रवाई की सिफारिश करने का भी निदेश दिया।

(ii) सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट पर विचार किया जो 18 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए निर्देश के अनुसार प्रस्तुत की गई। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड से गुजरने वाले दो निजी रास्ते राजस्व रास्ते नहीं हैं। ये निजी रास्ते परस्पर सहमति से अन्य व्यक्ति को मार्गाधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि निजी रास्तों पर विकासक तथा निजी व्यक्तियों का संयुक्त रूप से अधिकार है और यह भी कि ये निजी रास्ते आम रास्ते नहीं हैं और केवल ऐसे भूस्वामियों के निजी प्रयोग के लिए हैं जिन्होंने सन्निकटता स्थापित करने के लिए उक्त निजी रास्तों के

नीचे अंडरपास के निर्माण के लिए अपनी अनापत्ति प्रदान की है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी सूचित किया कि विकासक ने विकास योजना में संशोधन किया है तथा संशोधित योजना के अनुसार केवल दो निजी रास्ते गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गुजर रहे हैं। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी बताया कि 8 जून 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ था, यदि एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे कि सड़क, जलापूर्ति लाइन, सीवेज लाइन, नाला, नहर या रेलवे लाइन गुजर रही है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंडरपास का निर्माण करके प्रस्तावित एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने के लिए विकासक को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया :

(i) विकासक को निजी रास्तों के समानांतर चारदीवारी का निर्माण करना होगा ताकि उनके प्रयोक्ता एसईजेड में प्रवेश न कर सकें।
(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए कोई ड्यूटी फ्री सामग्री प्रदान नहीं की जाएगी।

चूंकि यह आईटी / आईटीईएस एसईजेड का मामला है जिसमें 10 हेक्टेयर का लघु क्षेत्र शामिल होता है, इस अनुमोदन को दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जाएगा।

मद संख्या 45.29 : डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकाट द्वारा विकसित किए जा रहे हाइटेक एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.30 : बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हार्ड आर्मर प्लेट और बम ब्लैंकेट के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स आर आर टेक्सनिट प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हार्ड आर्मर प्लेट और बम ब्लैंकेट के निर्माण के लिए एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आर आर टेक्सनिट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को दिशानिर्देशों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राधिकारी है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव

अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।

(iii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए शामिल की गई विशेष शर्तों को रक्षा उत्पादन विभाग की सिफारिश पर डीआईपीपी द्वारा शामिल किया गया है, जिसने इस मामले में गृह मंत्रालय की राय ली थी।

(iv) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

(v) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।

(vi) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा

मद संख्या 45.31 : रक्षा ऑफसेट सुरक्षा एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्त की जाने वाली मदों को शामिल करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सीएसईजेड) की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने केरल राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.32 : प्रवेश कर के संबंध में देयता के बारे में केन्द्रीय बिक्री अधिनियम 1956 के तहत फार्म 1 के निरसन पर उत्पन्न देयता के संबंध में बांड / बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स जेएसएल लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुमोदन बोर्ड इस शर्त के अधीन एसईजेड को विमुक्त करने के लिए सहमत है कि विकासक द्वारा प्राप्त किए गए सभी लाभ वापस कर दिए जाएं। विकास आयुक्त ने बताया है कि सीएसटी को छोड़कर विकासक द्वारा सभी देय लौटा दिए गए हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विकासक / यूनिटों के बकाया देयों की मात्रा नहीं बताई गई है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक विमुक्तीकरण से पूर्व संबंधित एजेंसियों के साथ सभी देयों का निस्तारण कर ले। किसी अन्य दृष्टिकोण से राजस्व की क्षति हो सकती है इसलिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

मद संख्या 45.33 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.34 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि अपीलकर्ता कुछ अपरिहार्य कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिए अगली बैठक तक अपील को आस्थगित करने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार अपील आस्थगित कर दी गई।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स मरवाल इंडिया, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

प्रत्येक यूनिट के प्रतिनिधि अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपनी परियोजनाओं को क्रियाशील बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में अनुमोदन बोर्ड को जानकारी प्रदान की और अनुमोदन बोर्ड से किए गए भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए आखिरी बार वैधता अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया। यूनिटों के अनुरोधों तथा एसईजेड नियमावली 2016 के नियम 19 (4) में संशोधन जिसके माध्यम से यूनिटों को चौथे वर्ष के बाद विस्तार प्रदान किया जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने दोनों यूनिटों को एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।

तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2011 तक दोनों यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में व्यापार की गतिविधि को शामिल करने के लिएएलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

(v) डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप जो अपीलकर्ताओं के कारखाने में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं, को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद उपर्युक्त अपीलों पर विचार करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 45.35 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम पुथेनक्रुज, कुन्नाथुनाडु तालुक, एर्नाकुलम जिला तथा ग्राम कक्कानाड, कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में 46.3773 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने केरल राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद इस मद पर विचार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 45.36 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक को पट्टा पर दी गई भूमि के खाली होने की स्थिति के बारे में तथा इस बारे में भी विकास आयुक्त, वीएसईजेड से स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा कि क्या एसईजेड में यूनिट के रूप में मैसर्स एसीएन इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कोई हित है। तदनुसार प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को उपर्युक्त प्रेक्षणों के आलोक में नई सिफारिशें प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

मद संख्या 45.37: औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित विकासकों के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) प्लाट नंबर 8, नॉलेज पार्क 5, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 45.38: क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गंगईकोंडन गांव, तिरुनवेली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने तमिलनाडु राज्य में विधान सभा चुनाव का संचालन होने तक प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(ii) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्रफल में 5.0917 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 26.1937 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 45.39 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 2 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ग्लोमेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 2 मार्च, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 45.40 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) चौथे साल के बाद एक और साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स होबेल बेलोज जो वीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 22 अप्रैल, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 45.41: निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए एसईजेड की यूनिट का अनुरोध

(i) अनग्रेनुलेटेड स्लैग जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए मैसर्स रोक्सुल - रोकवुल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए मैसर्स रोक्सुल - रोकवुल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि भारत के बाहर से सभी मदों का आयात किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में ऐसी मदों के आयात / निर्यात पर निषेध / प्रतिबंध जारी रहने तक डीटीए से कोई प्रापण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस कच्चे माल से निर्मित उत्पाद का पूर्णत: निर्यात किया जाएगा तथा कोई डीटीए बिक्री अनुमत नहीं होगी।

एग्जिम कोड	मद का विवरण
2619	स्लैग, ड्रोस (ग्रेनुलेटेड स्लैग से भिन्न), लोहा एवं इस्पात के विनिर्माण से स्केलिंग एवं अन्य अपशिष्ट
2619 00 10	स्लैग, ड्रोस (ग्रेनुलेटेड स्लैग से भिन्न), लोहा एवं इस्पात के विनिर्माण से स्केलिंग एवं अन्य अपशिष्ट
2619 00 10	ब्लास्ट फर्नेस का कनवर्टेड स्लैग (स्कल)
2619 00 90	अन्य

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को एक तंत्र स्थापित करने का भी निदेश दिया ताकि यूनिट द्वारा डीटीए से कच्चे माल के प्रापण की कड़ाई से निगरानी की जा सके।

मद संख्या 45.42 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यूनिट को वाणिज्य विभाग द्वारा

जांच के अधीन एसईजेड में प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के लिए अंतिम नीति के परिणाम का पालन करना होगा।

अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने एसईजेड में प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के लिए नीति को जल्दी से अंतिम रूप देने का भी निदेश दिया।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 45.43 : नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स रिटॉक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवासीय फ्लैटों की बिक्री

अनुमोदन बोर्ड को विकास आयुक्त, मिहान द्वारा सूचित किया गया कि मिहान एसईजेड के विकासक ने सह विकासक को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने तथा ऐसे व्यक्तियों को बेचने की अनुमति प्रदान की है जो एसईजेड से जुड़े नहीं हैं। अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स रिटॉक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आम जनता को प्रस्तावित फ्लैटों की बिक्री को गंभीरता से लिया है, जो एसईजेड योजना के तहत अनुमत नहीं है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड को सीधे तथा संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।"

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में **25 मार्च, 2011** को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. डा. राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्रीमती प्रवीण महाजन, महानिदेशक (डीजी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री विवेक रंजन, अतिरिक्त निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री एस के सिन्हा, अतिरिक्त निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. डॉ एल बी सिंघल, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशक
7. श्री संजीव नंदवानी, संयुक्त डीजीएफटी, कोलकाता
8. श्री सुरेश कुमार के, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), केरल सरकार
9. श्री आर जे शाह, सीईओ, दाहेज एसईजेड, गवर्नमेंट गुजरात
10. श्यामल मिश्रा, निदेशक, उद्योग और नीति संवर्धन विभाग
11. श्री ओ.पी. शर्मा, वैज्ञानिक-ई, आईटी विभाग
12. श्री ए के गुप्ता, महाप्रबंधक, आरआईआईसीओ
13. श्री मंजूनाथ गोंडा, निवासी निदेशक, कर्नाटक उद्योग मित्र
14. श्री एस के राठौर, निवासी आयुक्त, उड़ीसा सरकार
15. श्री वज़ीर सिंह, अतिरिक्त निदेशक, हरियाणा सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग
16. श्री निलेश शर्मा, कार्यालय आयुक्त, गुजरात सरकार
17. श्री सुदीप रॉय, असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानर, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
18. श्री आर डी मीणा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय

विकास आयुक्तों की सूची

19. श्री एम.एस. राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
20. श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड, मुंबई
21. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
22. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत
23. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, सीएसईजेड, कोच्चि
24. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड
25. श्री प्रवीर कुमार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड और दहेज सेज
26. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड, जामनगर, गुजरात
27. श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड
28. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
29. श्री वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड
30. श्री अनिल बंबा, विकास आयुक्त, सेरिकिटी एसईजेड

31. श्रीमती स्वर्ण एस, संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई
32. श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
33. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, अपर निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

34. श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
35. श्री टी श्रीनिधि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
36. श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग
37. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
38. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग